उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-08/2022/314/92-2-22-39जांच/2017

लखनऊ:: दिनांक:: 09 मई 2022

कार्यालय-ज्ञाप

श्री धर्मेन्द्र प्रकाश, तत्का0 अवर अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बागपत के विरूद्ध निदेशालय के आदेश संख्या-2009/ दिनांक 11-11-2003 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही तथा अभियोजन सं0-360/2002 के प्रचलित रहने की स्थिति में भी वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के आदेश दिनांक 05-11-2014 के पैरा-14 में उल्लिखित व्यवस्था को संज्ञान में न रखते हुये आदेश संख्या-1414/ दिनांक 24-06-2016 द्वारा श्री धर्मेन्द्र प्रकाश, अवर अभियंता की अनियमित ढंग से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य किये जाने की अनियमितता हेतु प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री के0के0 मिश्रा, तत्का0 अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-लखनऊ सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-157/ 2019/2488/92-2-19-39जांच/2017 दिनांक 05.11.2019 सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ श्री जी0एस0 नवीन कुमार, विशेष सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन को जॉच अधिकारी नामित किया गया था।

2- अपचारी अधिकारी श्री के0के0 मिश्रा तत्कालीन अधीक्षण अभियंता (सम्प्रति सेवानिवृत्त) परिमण्डल-लखनऊ के विरूद्ध अधिरोपित आरोप का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है :-

आरोप संख्या-1

शासनादेश में दिए गए व्यवस्था के अनुपालन में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में अवर अभियंता एवं संगणक के द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन स्वीकृति हेतु निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0-2075/ग्रा0अ0से0/स्था0-3/अ0अभि0/संगणक/ स्तरोन्नयन /2010-11 दिनांक 06.09.2010 द्वारा व्यवस्था निर्धारित किया गया है। अपचारी अधिकारी श्री के0 के0 मिश्रा द्वारा अभियोजन तथा अनुशासनिक कार्यवाही चलते रहने की अवस्था में वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-773/दस-62(एम)/ 2008 दिनांक 05.11.2014 के प्रस्तर-14 में निर्दिष्ट व्यवस्था के विपरीत अपचारी अधिकारी श्री मिश्रा के आदेश संख्या-1414/दिनांक 24.06.2016 द्वारा श्री धर्मेन्द्र प्रकाश, तत्कालीन अवर अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन स्वीकृति कर दिया गया। इस प्रकार से शासनादेश में निर्दिष्ट व्यवस्था के विपरीत कार्य करने के लिए अपचारी अधिकारी श्री के0के0 मिश्रा को आरोपित किया गया।

3- अपचारी अधिकारी, श्री के0के0 मिश्रा के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में नामित उक्त जॉच अधिकारी के अत्याधिक व्यवस्तता/स्थानान्तरित होने एवं चिकित्सा अवकाश पर रहने के कारण अंतिम रूप से शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1927/92-2-20-39जॉच/2017 दिनांक 31.12.2020 द्वारा श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, विशेष सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 शासन को जॉच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी/ श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, विशेष सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अपने पत्र दिनांक 11-10-2021 से जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। जॉच अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी जॉच आख्या में उक्त अधिरोपित आरोप संख्या-1 को प्रमाणित नही पाया गया, किन्तु शासन स्तर पर सम्यक परीक्षणोपरान्त जॉच

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अधिकारी की जॉच आख्या जिसमें उनका कथन कि अपचारी अधिकारी द्वारा पदीय दायित्वों का निर्वहन करते हुये निदेशक एवं मुख्य अभियंता के आदेशों का अनुपालन किया गया है, को स्वीकार योग्य नही पाया गया क्योकि निदेशक एवं मुख्य अभियंता द्वारा श्री धर्मेन्द्र प्रकाश के विरूद्ध प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही को **एवेन्स** रखे जाने के संबंध में निर्देश दिये गये थे न कि श्री धर्मेन्द्र प्रकाश के विरूद्ध प्रचलित आपराधिक कार्यवाही के संबंध में तथा ए0सी0पी0 से संबंधित शासनादेश दिनांक 05.11.2014 में प्राविधानित व्यवस्था (आपराधिक कार्यवाही गतिमान रहने पर ए0सी0पी0 की कार्यवाही को स्थगित रखा जायेगा) का अनपुालन न किये जाने के कारण अपचारी अधिकारी श्री के0के0 मिश्रा, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता (सम्प्रति सेवानिवृत्त) से उक्त के संबंध में उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-10(4) में विहित प्राविधानों के अनुसार शासन के पत्र दिनांक 30-11-2021 से अभ्यावेदन मॉगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 13-12-2021 के माध्यम से अभ्यावेदन उपलब्ध कराया गया।

4- अपचारी अधिकारी श्री के0के0 मिश्रा पर अधिरोपित आरोप संख्या-1, अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर एवं जॉच अधिकारी की जांच आख्या, अपचारी अधिकारी का अभ्योवदन व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त पाया गया कि श्री के0के0 मिश्रा, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-लखनऊ ए0सी0पी0 से संबंधित शासनादेश दिनांक 05.11.2014 में प्राविधानित व्यवस्था (आपराधिक कार्यवाही गतिमान रहने पर ए0सी0पी0 की कार्यवाही को स्थगित रखा जायेगा) का अनपुालन न किये जाने हेतु उत्तरदायी है किन्तु श्री के0के0 मिश्रा जो अपनी अधिवर्षता आयु पूर्णकर दिनांक 31.05.2018 को सेवानिवृत्त हो गये है, को प्रशासकीय दण्ड दिये जाने का अवसर उपलब्ध न होने के दृष्टिगत उनके विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-157/2019/2488/92-2-19-39जांच/2017 दिनांक 05.11.2019 सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

संख्या-08/2022/314(1)/92-2-2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री के0के0 मिश्रा, तत्का0 अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अभि0वि0, परि0-लखनऊ सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अभि0विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रमाकान्त शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in